डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Ltd.
(A Government of India Enterprises)
5th Floor, Pragati Maidan, Metro Station Building Complex, New Delhi- 110001
Corporate Identity Number U60232DL2006GOI155068
Web: **www.dfccil.com**

No. 2020/HQ/Admin/RTI-54 New Delhi: 04.03.2020

Sh. Brahamdutt Jat
Rajasthan

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI Application dated 23.01.2020 received through DOPT.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Appellate Authority's name and address is as under;

Shri Satish Kothari, GGM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building, New Delhi-110001.

(S.K.PANDA)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skpanda@dfcc.co.in
9717636811

DA: 24 sheets

(1)

आवश्यक / मॉजिस्ट्रेट ड्यूटी

राजस्थान सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर – 305001

कमांकः– कअ / न्याय–6 / 2018 / 01

दिनांक: ~~-12-2018~~ 01/01/2019

–::0 आदेश 0:: –

उप परियोजना प्रबन्धक / इंजी. डी.एफ.सी.सी.आई.एल. अजमेर ने अपने पत्र दिनांक 24–12–2018 द्वारा अवगत कराया है कि विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी समर्पित मालभाडा कॉरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन हेतु तहसील पीसांगन के ग्राम दौलतखेडा के विभिन्न खसरा संख्या की भूमि अवाप्त की गई है। रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20 ड की उपधारा–2 के अनुसार उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से उक्त भूमि अनन्य रूप से सभी विलंगमो से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गई है। तहसील पीसांगन के ग्राम दौलतखेडा में रेलवे फाटक सं0 13 के पास स्थित संरचना एवं मांगलियावास रेल पुलिया के पास जमीन अवाप्त की जा चुकी परन्तु हितबद्धकारी द्वारा अवार्ड की राशि का भुगतान अनेक आग्रहों के बाद भी नहीं लिया गया है। उक्त खसरा नम्बर में सम्बन्धित हितबद्धधारीगण की कुल मुआवजा राशि माननीय न्यायालय श्रीमान् सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के वहां रेफरेन्स के तहत दिनांक 09–08–2018 को जमा करा दी गयी है। अब उक्त भूमि को कब्जे में लेने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। परन्तु डी.एफ.सी.सी.आई.एल को अभी तक उक्त भूमि का कब्जा नहीं मिल पाया है तथा कार्य उक्त स्थान पर रूक गया है, उक्त भूमि हिस्से का अधिकार / कब्जा लेने, के लिए डी.एफ.सी.सी. आई.एल. द्वारा उचित संख्या में पुलिस जाप्ता मय महिला कानि0 सहित जब तक उपरोक्त कब्जा लेने की प्रकिया चलेगी तब तक उपलब्ध करवाने तथा "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" नियुक्त करने हेतु निवेदन किया है।

अतः डी.एफ.सी.सी.आई.एल. अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 24–12–2018 के कम में प्रस्तावित उक्त कार्यवाही के दौरान कानून–शान्ति एवं अन्य व्यवस्थाए बनाये रखने हेतु श्री समदर सिंह भाटी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीसॉगन जिला अजमेर (98334–78912) को "कार्यपालक मजिस्ट्रेट" नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वह उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / इंजी. डी.एफ.सी.सी.आई.एल. अजमेर से तुरन्त सम्पर्क / समन्वय स्थापित कर, प्रस्तावित कार्यवाही के दौरान पुलिस अधिकारियों / डेडीकेटेड फ्रन्ट कॉरीडोर कारपो0 ऑफ इण्डिया लि0 के अधिकारियों से समन्वय / सम्पर्क स्थापित कर, प्रस्तावित कार्यवाही हेतु समुचित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(हस्ताक्षर)

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

कमांकः– कअ / न्याय–6 / 2018 / 6-15
दिनांक: ~~-12-2018~~ 01/01/2019

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही / पालनार्थ प्रेषित है –

1– सम्भागीय आयुक्त महोदय, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2– जिला पुलिस अधीक्षक, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्यवाही के दौरान पर्याप्त मात्रा में पुलिस जाप्ता मय महिला कानि0 सहित उपलब्ध करवाकर कानून, शान्ति एवं समुचित सुरक्षा व्यवस्था कराना सुनिश्चित करावें।
3– अति0कलेक्टर एवं अति0जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन / शहर), अजमेर
4– श्री समदर सिंह भाटी, उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीसांगन (संलग्न डीएफसीसी का पत्र 24–12–18)
5– उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पीसॉगन (संलग्न डीएफसीसी का पत्र 244–12–18)
6– उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक / इंजी. डी.एफ.सी.सी.आई.एल. अजमेर को उनके पत्र दिनांक 24–12–2018 8–तहसीलदार, पीसांगन जिला अजमेर
7– प्रभारी अधिकारी, पूल / नाजरात शाखा, अजमेर
8–निजी सहायक जिला कलक्टर (कार्यालय / निवास), अजमेर
9–– निजी सहायक अति.जिला मजिस्ट्रेट–शहर, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि सम्बंधित मजिस्ट्रेटगण को उक्तानुसार ड्यूटी बावत दूरभाष पर सूचित करावें।
10–आदेश पत्रावली

(हस्ताक्षर)
(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, अजमेर

Photo copy verified

उप परियोजना प्रबन्धक / इन्जी
Dy Project Manager/Engg
डी एफ सी सी आई एल, अजमेर

Scanned by CamScanner

(2)

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि.
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम
Dedicated Freight corridor Corporation of India Ltd.
A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

क्रमांक : अज./भू.अवा./इंजी./22/Vol. XI

दिनांक 24.12.2018

निमित्त :– जिलाधीश महोदय,
अजमेर

विषय :– तहसील पीसांगन के ग्राम दौलतखेड़ा में खसरा संख्या 118, 119, 120 एवं 579, 460, 462, 465 में डीएफसी द्वारा अवाप्त भूमि का कब्जा लेने हेतु कार्यपालक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति व पुलिस जाप्ता उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ :– आपके कार्यालय पत्रांक कअ/न्याय–6/2018/157 दि. 14.08.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत कराया जाता है कि विशेष रेल परियोजना, पश्चिमी समर्पित मालभाडा कॉरीडोर (WDFC) के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबन्धन और परिचालन हेतु तहसील पीसांगन के ग्राम दौलतखेडा के विभिन्न खसरा संख्या की भूमि अवाप्त की गई है। रेलवे संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 20ड की उप धारा–2 के अनुसार उपरोक्त अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक से उक्त भूमि अनन्य रूप से सभी विलंगमों से मुक्त होकर केन्द्र सरकार में निहित हो गई है।

तहसील पीसांगन के ग्राम दौलतखेडा में रेलवे फाटक सं0 13 के पास स्थित संरचना एवं मांगलियावास रेल पुलिया के पास जमीन अवाप्त की जा चुकी है। परन्तु हितवद्धधारी द्वारा अवार्ड की राशि का भुगतान अनेक आग्रहों के बाद भी नहीं लिया गया है। उक्त खसरा सं0 में संबंधित हितवद्धधारी शंकरसिंह, प्रह्लादस्त, विष्णुदत्त, गणेश पुत्रगण मिश्रीलाल कौम जाट एवं रामकरण पिसरान छीतर, कौम जाट की कुल मुआवजा राशि रू 52,80,007/– चैक संख्या 207935 दिनांक 07.07.2018 माननीय न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश (व.ख.) एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अजमेर के वहां रेफरेन्स के तहत दिनांक 09.08.2018 को जमा करा दी गई।

इस कार्य के लिये आप श्री द्वारा दिनांक 14.08.2018 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का आदेश जारी किया गया था परन्तु श्री दीपांशु सांगवान, एसडीएम पीसांगन के स्थानान्तरण के कारण यह कार्य सम्पादित नहीं हुआ।

अतः निवेदन है कि उपरोक्त ग्राम उपखण्ड अधिकारी पीसांगन के कार्यक्षेत्र में स्थित है एवं इस प्रक्रिया के समुचित सम्पादन हेतु एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट को नामित कर आवश्यकतानुसार उचित पुलिस जाप्ता प्रदान करने का आदेश फरमावें।

इसके लिये डीएफसीसी के अधिकारी, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं श्रीमान कार्यपालक मजिस्ट्रेट से सम्पर्क बनायेंगे।

उप परियोजना प्रबंधक/इंजी.
डी.एफ.सी.सी.आई.एल.
अजमेर

Corporate Office : 5th Floor, Pragati Maidan Metro Station Building Complex, New Delhi - 110001.
Tel. : +91-11-23454700, Fax 011-23454701, Web : www.dfccil.org
Ajmer Office : A-1, Circular Road, Ajmer-305001. Tel & Fax - 0145-2649560

Photo copy verified

उपपरियोजना प्रबन्धक/इन्जी
Dy Project Manager/Engg
डी एफ सी सी आई एल

Scanned by CamScanner